न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 19/2021 GCMS NO 2021/118

दायरा तिथि : 08.07.2021

आदेश तिथि : 4-10-2021

प्रार्थीगण :–

1. श्रवणसिंह पुत्र खुशालसिंहजी जाति राजपुत
   निवासी खिन्दावा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. महिपालसिंह पुत्र परबतसिंहजी जाति राजपुत
   निवासी बिसलपुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
2. राजेशकुमार पुत्र प्रकाशचंद जाति जैन निवासी सुमेर टावर, मड़गांव मुबई
3. शांतिलाल पुत्र केशरीमल जाति जैन साकिन सुमेर टावर, मड़गांव मुबई
4. करणसिंह पुत्र गोपसिंह उर्फ गोपालसिंहजी जाति रावणा राजपुत
   निवासी बिसलपुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 4-10-2021

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1053 रकबा 0.6100 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 1060 रकबा 0.38 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मेंसे एवं अप्रार्थीगण संख्या 02, 03 यथा राजेशकुमार पुत्र प्रकाशचंद जाति जैन वगैरा की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 1044 रकबा 0.94 हैक्टर किस्म बारानी दोयम एवं अप्रार्थी संख्या–04 करणसिंह पुत्र गोपसिंह की खरीदशुदा भूमि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 1058 रकबा 3.32 हैक्टर मेंसे 20 फीट चौडा नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां, एवं बेचान रजिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2021/1527 दिनांक 31.08.2021 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1053 रकबा 0.61 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि श्रवणसिंह पुत्र खुशालसिंह जाति राजपुत निवासी खिन्दावा 1/2 हि. व महिपालसिंह पुत्र परबतसिंह जाति राजपुत निवासी बिसलपुर 1/2 हि. खातेदारी की दर्ज हैं। खातेदारान् की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य नजदीक विकल्प मौजूद नहीं हैं। तथा आवेदित रास्ता से ही प्रार्थीगण आना जाना करते हैं।

2 यह कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1060	0.38	बा.दो.	60X 5 =300 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक
2	1044	0.94	बा.दो.	90X 5 =450 वर्गमीटर	राजेश कुमार पुत्र प्रकाशचन्द हि. 1/2 शान्तिलाल पुत्र केशरीमल हि. 1/2 जातिगण जैन नि. मडगांव मुम्बई
3	1058	3.22	बा.दो.	164X 5 =820वर्गमीटर	करणसिंह पुत्र गोपसिंह उर्फ गोपालसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी बिसलपुर
				1570वर्गमीटर	

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 19/2021 GCMS NO 2021/118

अनवान श्रवणसिंह वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरये तहसीलदार, बाली वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम बिसलपुर की डी.एल.सी. दर 207720/–रूपये प्रति हैक्टर हैं।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में खसरा नंबर 1058 में एक अरजवीया का 2 फीट मोटा (परिधि) का पेड हैं। इसके अलावा अन्य खसरो की भूमि में मौके पर कोई भी निर्मित संरचना नही हैं एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति हैं।

प्रकरण में हितबद्ध अप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 राजस्थान प्रान्त से बाहर के निवासी होने से रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किये गये। जिनकी ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह राठौड ने वकालतनामे पेश किये गये। प्रकरण के चलते प्रार्थी पक्ष द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में स्टाम्प पर लिखे गये सहमति के शपथ पत्र पेश किये गये। एवं साथ ही अप्रार्थी संख्या–04 करणसिंह के द्वारा प्रार्थी महिपालसिंह के पक्ष में खसरा नंबर 1058 रकबा 3.32 हैक्टर मेंसे पश्चिम दिशा की तरफ खसरा नंबर 1045 के पास की भूमि रकबा 0.06033 हैक्टर में दिनांक 13.08.2021 को किये गये रजिस्टर्ड बेचान नामा की प्रति एवं साथ ही अप्रार्थी संख्या–04 करणसिंह के द्वारा ही धारित खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1058 रकबा 3.32 हैक्टर मेंसे दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ 15X 100=1500 वर्गफीट (0.01377 हैक्टर) भूमि का दिनांक 13.08.2021 को राज्य पक्ष में समर्पण नामा कर देने से अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष द्वारा दिनांक 01.10.2021 को आवेदन प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या–04 से रास्ते बाबत् किसी प्रकार का अनुतोष नहीं होने से अप्रार्थी संख्या–04 का नाम डिलिट किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत बेचान रजिस्ट्री की प्रति एवं समर्पण नामा की प्रति के अवलोकन के पश्चात् प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10(2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता हैं। एवं अप्रार्थी संख्या–04 से प्रार्थीगण को किसी प्रकार का अनुतोष नहीं होने से प्रार्थना पत्र शीर्षक से डिलिट किया जाता हैं। इसके साथ अप्रार्थी संख्या–02 व 03 के अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार का जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रो की प्रतियो के अनुसार अप्रार्थी संख्या 02 व 03 प्रार्थी को रास्ता देने में सहमत हैं।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 1053 रकबा 0.61 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2021/1527 दिनांक 31.08. 2021 से खसरा नंबर 1060, 1044, 1058 मेंसे नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 1.10.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी महिपालसिंह ने अप्रार्थी संख्या 04 करणसिंह से खसरा नंबर 1058 रकबा 3.32 हैक्टर मेंसे पश्चिम दिशा की तरफ खसरा नंबर 1045 के पास की भूमि रकबा 0.06033 हैक्टर दिनांक 13.08.2021 को रजिस्टर्ड बेचाननामा के जरिये खरिद की जा चुकी है, तथा अप्रार्थी संख्या–04 करणसिंह के द्वारा खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1058 रकबा 3.32 हैक्टर मेंसे दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ 15X 100=1500 वर्गफीट (0.01377 हैक्टर) भूमि का दिनांक 13.08.2021 को राज्य पक्ष में समर्पण नामा भी पंजिबद्ध करवा दिया है। जिससे प्रार्थीगण के आवेदन पर अप्रार्थी संख्या–04 का नाम डिलिट भी किया जा चुका हैं। जिससे खसरा नंबर 1058 के सबंध में रास्ते बाबत् किसी प्रकार के आदेश की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1053 रकबा 0.61 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन हेतु **राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम बिसलपुर तहसील बाली** के खसरा नंबर 1060 मेंसे 300 वर्गमीटर तथा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 यथा राजेश कुमार पुत्र प्रकाशचन्द जैन वगैरा की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 1044 मेंसे 450 वर्गमीटर **कुल 750 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार व अप्रार्थी को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप खसरा नंबर 1060 से 1044 तक उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

पेज लगातार...........03

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 19/2021 GCMS NO 2021/118
अनवान श्रवणसिंह वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरये तहसीलदार, बाली वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल. सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 207720/- प्रति हैक्टयर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1060	0.38	60X 5 =300 वर्गमीटर	20.77	6231 X2=12462	राजकीय सिवाय चक
1044	0.94	90X 5 =450 वर्गमीटर	20.77	9346 X2=18693	राजेश कुमार पुत्र प्रकाशचन्द हि. 1/2 शान्तिलाल पुत्र केशरीमल हि. 1/2 जातिगण जैन नि. मडगांव मुम्बई

प्रस्तावित रास्ता में कोई वृक्ष निर्माण व अन्य किसी प्रकार की क्षति नहीं हैं। अतः निजी खातेदार की प्रतिकर राशि **18693/- अक्षरे अट्ठारह हजार छः सौ तरानवे रूपये** मात्र आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदार को अदा की जावेगी। तथा **12462/-अक्षरे बारह हजार चार सौ बासठ रूपये** राजकोष में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा जो खसरा नंबर 1060 से 1044 तक है, आदेश का भाग माना जावेगा। प्रभावित खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक :

क्रमॉक/कोर्ट/2021/
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, बिसलपुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक महिपालसिंह पुत्र परवतसिंह जाति राजपुत निवासी बिसलपुर वगैरा को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner